भारत सरकार
विदेश मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4836
दिनांक 31.03.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

हाई सी की सुरक्षा

4836. श्री ए. राजा:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हाई सी की रक्षा के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संधि के कारण समुद्री पारितंत्र में सुधार होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने देशों ने इस संधि का अनुसमर्थन किया है; और

(घ) क्या इस संधि के कार्यान्वयन से विश्व मे गरीब दक्षिण और उत्तर के अमीरों के बीच समानता सुनिश्चित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) और (ख) 4 मार्च 2023 को 5 वें संयुक्त राष्ट्र अंतर-सरकारी सम्मेलन [यूएनआईजीसी] समुद्री कानून पर राष्ट्र अभिसमय (यूएनसीएलओएस) के तहत राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र (बीबीएनजे समझौते) से परे क्षेत्रों में समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर एक नए अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज़ के पाठ पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 दिसंबर 2017 के संकल्प 72/249 के माध्यम से यूएनआईजीसी की बैठक बुलाने का आदेश दिया था।

भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और मत्स्य पालन विभाग सहित सभी हितधारक मंत्रालयों/विभागों के एक समग्र प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से इन वार्ताओं में भाग लिया।

(ग) और (घ) विकासशील देशों के दृष्टिकोण से, इस करार में निम्नलिखित का प्रावधान है: i) समुद्री जैव विविधता का संरक्षण; प्रजातियों की सूची; ii) समुद्री आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच प्रदान करना; iii) समुद्री विविधता-रक्षण, संरक्षण और इसके दोहन संबंधी व्यवस्था में पारदर्शिता; iv) क्षमता निर्माण और समुद्री प्रौद्योगिकी की साझेदारी और v) समुद्री जैव विविधता के अन्वेषण में विशेषज्ञों के लिए अनुसंधान के अवसर।

इस पाठ को किसी भी देश द्वारा अनुसमर्थन से पहले आगामी महीनों में औपचारिक रूप से पारित किए जाने की आवश्यकता है।

*****